राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1597 / 2024

अंकुर गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कामान, जिला डीग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, कैवियटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित होने के कारण अपीलार्थी को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर में किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 02 के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में प्रकरण का परीक्षण किये बिना ही, बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5734 / 2022 अशोक देवड़ा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2978 / 2022 राकेश कुमार खत्री बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश 24.02.2022 जिसके द्वारा प्रकरण में स्थगन प्रदान किया गया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अपीलार्थी को भरतपुर एम.एल.ए. के प्रभाव के कारण दुर्भावनापूर्ण से निलम्बित किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3014 / 2022 संगीता सांखला बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक

25.02.2022, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5595/2022 कैलाश वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6405/2022 प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14553/2021 लक्ष्मी भील बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के द्वारा ऐसे प्रकरणों में स्थगन प्रदान किया गया था, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है (अनुलग्नक–2)। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5831/2022 शिवपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.04.2022, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6729/2022 दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 13615/2021 विष्णु कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के द्वारा ऐसे प्रकरणों में स्थगन प्रदान किया गया था, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.12.2023 (अनुलग्नक–4) के अनुसार पंचायत समिति उच्चैन, कामां एवं पहाड़ी में विकास अधिकारी एवं संरपचों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य मौके पर नहीं कराये जाने एवं भुगतान संबंधित विकास अधिकारी, सरपंच एवं प्रधान द्वारा उठा लिए जाने के कारण उक्त पत्र की पालना में पंचायत समिति उच्चैन, कामां एवं पहाड़ी में वर्ष 2021–22 से आज दिनांक तक समस्त योजनाओं के कार्यों का का अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराने हेतु कमेटी का गठन किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को बहाल किया जावे तथा कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति कामां में कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत करते कथन किया है कि तत्कालीन जिला प्रमुख के संज्ञान में पंचायत समिति उच्चैन, पंचायत समिति कामां व पंचायत समिति पहाडी में वित्तीय अनियमितताऐं बिना आदेशों के अनियमित भुगतान किया जाना एवं भ्रष्टाचार की सूचना प्राप्त होने पर समस्त योजनाओं का अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु कमेटी का गठन कर जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 04–12–2023 को एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जांच कमेटी द्वारा इन पंचायत समितियों उच्चौन, कामां एवं पहाडी की जांच की गई

जिसमें जांच कमेटी ने अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया, जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर पंचायत राज विभाग द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित जांच के उपरांत निलम्बित किया गया है एवं अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गये गये, जो जवाब के साथ संलग्न है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 04–12–2023 को एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जांच कमेटी द्वारा इन पंचायत समिति कामां की जांच की गई जिसमें जांच कमेटी ने अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर पंचायत राज विभाग द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित जांच के उपरांत निलम्बित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य